

(50)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.3(54)नविवि/3/2011पार्ट

जयपुर, दिनांक:

29 JUL 2014

1. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त (राजस्थान)।

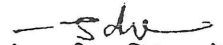
विषय:- प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्राप्त एवं निस्तारण से
रोक रहे लम्बित आवेदनों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न न्यासों एवं प्राधिकरणों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन जिनका अभियान अवधि (लोकसभा आचार संहिता लागू होने के कारण) में निस्तारण नहीं किया जा सका, के संबंध में निस्तारण हेतु मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। इस संबंध में सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्राप्त एवं निस्तारण से रोक रहे लम्बित आवेदनों/प्रकरणों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करने का श्रम करें :-

1. जिन पत्रावलियों में अभियान अवधि में राशि जमा हो चुकी है/सम्पूर्ण कार्यवाही हो चुकी है केवल पट्टे पर हस्ताक्षर होने शेष है, उन प्रकरणों में पट्टे जारी किये जा सकते हैं।
2. अन्य प्रकरणों के संबंध में छूट/शिथिलताओं हेतु उच्च स्तर पर निर्णय के पश्चात् पृथक् से सूचित किया जायेगा। किलहाल ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही सामान्य प्रचलित नियमों के तहत की जा सकती है।

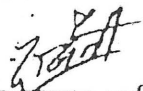
राज्यपाल की आज्ञा से,


(जगजीत सिंह मोंगा)

उप शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा. शासन विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/तृतीय एवं उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने बाबत।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर निरीक्षक/उप विधि परामर्शी, नविवि
6. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव-द्वितीय